सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 07/2017 दायर दिनाँक 16.01.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. सजना पत्नी लूणा, उम्र–75साल, जाति–बावरी, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. किस्तूर पुत्र स्वर्गीय कुना, 2. देवचन्द पुत्र स्वर्गीय कुना, 3. शंकर पुत्र स्वर्गीय राप्रसाद, 4. राजू स्वर्गीय राप्रसाद, 5. शायरी पत्नी स्वर्गीय राप्रसाद, 6. कैलाश पुत्र स्वर्गीय दियाला, 7. चरणसिंह पुत्र स्वर्गीय दियाला, 8. कँवरी पत्नी स्वर्गीय दियाला, 9. रंगलाल पुत्र स्वर्गीय गंगाराम, 10. मुकेश पुत्र स्वर्गीय रामनिवास, 11. पूनम पुत्री स्वर्गीय रामनिवास, 12. पूजा पुत्री स्वर्गीय रामनिवास, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. भवानी पुत्र मांगीलाल, जाति–ढोली, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. मंगलचन्द पुत्र लीलाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–लाडनूँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. नाथूराम पुत्र कानाराम, जाति–हरिजन, निवासी–माड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		16. उगमाराम पुत्र हरचन्द, जाति–मेघवाल, निवासी–पीड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय नारायणराम, जाति–मेघवाल, निवासी–अड़सिंगा, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. नाथूराम पुत्र कुनाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **25.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी व श्री प्रितमसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 08, 10 ता 17 की ओर से व श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 18 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बिंचावा में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 465 रकबा 05.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 504 रकबा 0.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 418 रकबा 17.02 बीघा में से रकबा 09.18 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 को व रकबा 0.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 16 को व रकबा 0.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को तथा रकबा 05.18 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 505 रकबा 29.05 बीघा में से रकबा 09.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को व रकबा 07.10 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को व रकबा 02.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को व रकबा 02.07 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 को व रकबा 02.13 बीघा भूमि का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को व रकबा 0.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 17 को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 को तथा रकबा 04.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **25.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 11/4/18

नोट:- प्रतिवादी सं० 3 व 4 के पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र उर्फ [illegible] है तथा प्रतिवादी सं० 14 की माता [illegible] के स्थान पर [illegible] उर्फ [illegible] की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/07** दायर दिनाँक **16.01.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सजना पत्नी लूणा, उम्र–75साल, जाति–बावरी, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. किस्तूर पुत्र स्वर्गीय कुना, 2. देवचन्द पुत्र स्वर्गीय कुना, 3. शंकर पुत्र स्वर्गीय राप्रसाद, 4. राजू स्वर्गीय राप्रसाद, 5. शायरी पत्नी स्वर्गीय राप्रसाद, 6. कैलाश पुत्र स्वर्गीय दियाला, 7. चरणसिंह पुत्र स्वर्गीय दियाला, 8. कँवरी पत्नी स्वर्गीय दियाला, 9. रंगलाल पुत्र स्वर्गीय गंगाराम, 10. मुकेश पुत्र स्वर्गीय रामनिवास, 11. पूनम पुत्री स्वर्गीय रामनिवास, 12. पूजा पुत्री स्वर्गीय रामनिवास, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. भवानी पुत्र मांगीलाल, जाति–ढोली, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. मंगलचन्द पुत्र लीलाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–लाडनूँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. नाथूराम पुत्र कानाराम, जाति–हरिजन, निवासी–माड़ोदा, तहसील–डीडवाना,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		जिला–नागौर, राजस्थान, 16. उगमाराम पुत्र हरचन्द, जाति–मेघवाल, निवासी–पीड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय नारायणराम, जाति–मेघवाल, निवासी–अड़सिंगा, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. नाथूराम पुत्र कुनाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री प्रितमसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 08, 10 ता 17 की ओर से।
3. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **25.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 तक स्वर्गीय लिछमणराम के वारिशान् है। स्वर्गीय लिछमणराम के चार पुत्र– कुना, कुना, लूणा, दियाला व गंगाराम थे, जो कि फौत हो चुके हैं। वाद–पत्र में वर्णित संख्या 01 ता 05 तक स्वर्गीय प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 तक स्वर्गीय कुना से तथा वादी स्वर्गीय लूणा की पत्नी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 से 08 स्वर्गीय दियाला से तथा प्रतिवादीगण संख्या 09 से 12 तक स्वर्गीय गंगाराम से सम्बन्धित वारिशान् हैं।

शरहद बिचावा में खेत खसरा नम्बर 418 रकबा 17.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 465 रकबा 05.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 504 रकबा 0.08 बीघा, कुल रकबा 23.02 बीघा अवस्थित है। उक्त पैतृक खेताय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 तक की संयुक्त खातेदारी में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

है, जिनमें वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 09 से 12 का 1/4 हिस्सा है। नकल वर्तमान खतौनी पेश है।

शरहद बिंचावा में ही पैतृक खेत खसरा नम्बर 505 रकबा 29.05 बीघा अवस्थित है। यह खेत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 की संयुक्त खातेदारी में है, जिसमें से वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 का 1/4 हिस्सा व अधिकार मौजूद है। नकल पेश है।

उपर्युक्त वर्णित खसरा संख्या 505 रकबा 29.05 बीघा में से वादी सजना द्वारा अपने 1/4 हिस्सा में से रकबा 01.07 बीघा व रकबा 01.00 बीघा कुल रकबा 02.07 बीघा का बैचाण प्रतिवादी संख्या 13 भवानी पुत्र मांगीलाल को कर देने से भवानी का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ, फिर भवानी द्वारा प्रतिवादी संख्या 14 मंगलचन्द पुत्र लीलाराम को रकबा 01.00 बीघा का बैचाण कर देने से मंगलचन्द का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। वादी सजना द्वारा अपनी शेष भूमि में से रकबा 0.10 बीघा का बैचाण प्रतिवादी संख्या 15 नाथूराम पुत्र कानाराम को व रकबा 0.07 बीघा कर देने से नाथूराम व उगमाराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। इस प्रकार वादी सजना द्वारा अपने हिस्से की 1/4 हिस्सा में रकबा 03.04 बीघा भूमि का बैचाण कर देने के पश्चात् इस खसरा में वादी सजना का हिस्सा रकबा 04.02 बीघा मौजूद है।

उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बर 505 रकबा 29.05 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 तक का 1/4 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 08 कँवरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 17 नेमाराम पुत्र स्वर्गीय नारायणराम को रकबा 0.08 बीघा भूमि तथा रकबा 0.10 बीघा भूमि का बैचाण प्रतिवादी संख्या 18 नाथूराम पुत्र कुनाराम को कर देने से इनका नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ।

वाद वर्णित खसरा नम्बर 418 रकबा 17.02 बीघा, खसरा नम्बर 465 रकबा 05.11 बीघा, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.08 बीघा, कुल रकबा 23.02 बीघा में वादी का 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 505 रकबा 29.05 बीघा, में हक हिस्सा की भूमि में से बैचाण की गयी भूमि के बाद शेष रही रकबा 04.02 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में मौजूद है।

उपर्युक्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नहीं है, जिसके कारण वादी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बैचाण करने पर उतारू हैं।

खसरा नम्बर 465, 504 व 505 की भूमि में से समस्त,स्वर्गीय– मीरा, दीपु, चन्द्री व चन्दादेवी का नाम हटाया जाने योग्य है।

बिनाय दावा, संयुक्त खातेदारी के आड़ में वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कुचेष्टा का कारण उत्पन्न हो रहा है। आवश्यक पक्षकार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

होने के कारण से तहसीलदार डीडवाना को वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 19 बतौर पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद बिंचावा में खसरा नम्बर 418 रकबा 17.02 बीघा, खसरा नम्बर 465 रकबा 05.11 बीघा, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.08 बीघा, कुल रकबा 23.02 बीघा में से वादी का 1/4 हिस्सा (रकबा 05.15.05 बीघा) तथा खेत खसरा नम्बर 505 रकबा 29.05 बीघा बाद बैचाण शेष रही भूमि रकबा 04.02 बीघा भूमि का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर वादी को खातेदार घोषित की जावे व समस्त,स्वर्गीय मीरा, दीपु, चन्द्री व चन्दादेवी का नाम इन खेताय की भूमि से हटाया जावे।

वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07, 09, 17 व 19 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 08, 10 ता 15 व 17 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वाद के समर्थन मे, वादी ने शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम बिंचावा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 23/22, 24/23 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार/इकबालिया जवाब मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् दावानुसार/इकबालिया जवाब के मुताबिक खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। नजरीनक्शा अनूसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान् दावा/इकबालिया जवाब मुताबिक दावा डिकी किया जाना हमारे मत मे उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा/इकबालिया जवाब के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बिंचावा में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 465 रकबा 05.11 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

2. खसरा नम्बर 504 रकबा 0.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 418 रकबा 17.02 बीघा में से रकबा 09.18 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 को व रकबा 0.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 16 को व रकबा 0.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को तथा रकबा 05.18 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 505 रकबा 29.05 बीघा में से रकबा 09.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को व रकबा 07.10 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को व रकबा 02.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को व रकबा 02.07 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 13 व 14 को व रकबा 02.13 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 को व रकबा 0.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 17 को व रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 को तथा रकबा 04.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 को खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **25.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 11/4/2018

नोट:- प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता का नाम राजकरण के स्थान पर रामकरण दुरुस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी सं० 15 की जाति मेघवाल के स्थान पर मेहतर दुरुस्त की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner